—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 83/2023

उनवान

1. मुरलीमनोहर पुत्र सियाराम,
2. योगराज पुत्र स्व. सियाराम,
3. नीतू पुत्री सियाराम,
4. मुन्नीदेवी पत्नि सियाराम जाति वेष्णव निवासीगण धोलादॉता देराठू तहसील नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामकिशन पुत्र रामधनदास जाति वैष्णव निवासी धोलादांता देराठू तहसील नसीराबाद,
2. मनभर पत्नि जगदीश,
3. धमेन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद,
4. योगीराज उर्फ रामप्रसाद पुत्र जगदीशप्रसाद,
5. लालीदेवी पुत्र जगदीशप्रसाद समस्त जातिगण वैष्णव निवासी गादेरी तहसील नसीराबाद,
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 3 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
6 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 28/3/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धोलादांता देराठू के खाता संख्या 171/94 किता 6 रकबा 0.77, 145/131 किता 4 रकबा 0.71 व खसरा नम्बर 451 रकबा 0.02 की आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी है। उक्त आराजी के मूल खातेदार रामधदास की मृत्यु हो गयी है। जिसके दो लडके रामकिशन व जगदीशप्रसाद हुये। एक पुत्र जगदीशप्रसाद ग्राम गादेरी निवासी गुलाबदास पुत्र औंकारदास के गोद चले गये है। जिस बाबत ग्राम पंचायत लवेरा में दिनांक 15.02.99 को एक लिखापढी की गयी। मतदाता सूची 1983 व 1988 में जगदीशप्रसाद के पिता का नाम गुलाबदास अंकन किया गया। आराजी मुतनाजा का सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 रामकिशन पुत्र रामधनदास के नाम अंकन करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से जगदीश प्रसाद गुलाबदास के नाम भी अंकित कर दिया। जिसकी दुरूस्ती की जा कर आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 रामकिशन व उसके पूत्र सियाराम की मृत्यु हो जाने के कारण ... उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे। राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:41 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थीगण के कब्जे कायत में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि गुलाबदास पुत्र औंकारदास के कोई संतान नही होने के कारण अपने जीवनकाल में ही अपने दोनो भांजे रामकिशन अप्रार्थी संख्या 1 व जगदीश के नाम राजीखुशी वसीयत की गयी। जगदीश की मृत्यु हो गयी हे जिसके वारिस अप्रार्थी संख्या 2 से 5 है। वसीयत होने के बाद दोनो भाईयों ने गुलाबदास की सेवा बंद कर दी तथा सभी प्रकार का सहयोग भी बंद कर दिया। गुलाबदास ने सभी की राय लेकर अपनी इच्छा से दिनांक 24.11.87 को नाबालिग अवस्था में धमेन्द्र कुमार व योगेश उर्फ योगीराज पुत्र जगदीशप्रसाद के नाम पंजीबद्व वसीयत निष्पादित की। प्रार्थीगण के पिता सियाराम की मृत्यु हो गयी है। प्रार्थीगण ने अपने दादा रामकिशन से लडाई–झगडा कर के भगा दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपनी पुत्री के पास ग्राम मोराझडी में रहता है। दोनो पक्षों में भूमि का मौके पर बंटवारा पूर्व में हो गया है। तथा दोनो पक्ष अपने–अने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। शेष अप्रार्थी गण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम धोलादांता देराठू के खाता संख्या 171/94 किता 6 रकबा 0.77, 145/131 किता 4 रकबा 0.71 व खसरा नम्बर 451 रकबा 0.02 की आराजी अप्रार्थीगण के नाम सह खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का दादा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व जवाब के अनुसार गुलाबदास की आराजी पर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का नाम जरियें वसीयत दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मतदाता सूचर में जगदीश प्रसाद के पिता का नाम गुलाबदास ही अंकित है। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 जगदीशप्रसाद के वारिस है। भूमि के हक व अधिकार को लेकर उभयपक्ष में विवाद है जिसक निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। किन्तु मूल वाद के निस्तारण तक भूमि का संरक्षण आवश्यक है। प्रकरण में वाद बहुलता रोकने के उद्‌देश्य से अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण पुश्तैनी होने के कारण हक व अधिकार निहित होने का कथन करते है। अप्रार्थी संख्या 1 ने भूमि पुश्तैनी होने का कोई खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा के बैचान व हस्तांतरण से मौके पर वाद बहुलता ही होगी। आराजी मुतनाजा का संरक्षण करना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हु[illegible]ग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। [illegible]ना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अप[illegible]के पक्ष में है। तदनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:41 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम धोलादांता देराठू के खाता संख्या 171/94 किता 6 रकबा 0.77, 145/131 किता 4 रकबा 0.71 व खसरा नम्बर 451 रकबा 0.02 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता हैं कि आराजी मुतनाजा के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:41 IST
Reason: SelfAttested